न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2022/23

प्रार्थना पत्र संख्या 24 / 2022 तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. गुड्डी पत्नि श्यामलाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर।
2. श्यामलाल पुत्र मीठालाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर।

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण गुड्डी पत्नि श्यामलाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं श्यामलाल पुत्र मीठालाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर हाल 968 रकबा 0.89 है0 साबिक ख0नं0 661 / 1 वाके ग्राम पीलवानदी में आदेश दिनांक 26 / 05 / 2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 968 रकबा 0.89 है0 साबिक ख0नं0 661 / 1 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08. 2021 के अनुसार आवंटी का कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0नं0 968 [illegible] 89 है0 साबिक ख0नं0 661 / 1 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आ[illegible]ी क[illegible]ौके पर कब्जा काश्त नहीं है। आज दिनांक तक जमाबन्दी में गैर [illegible] किया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार उक्त भूमि पड़त है जो कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उल्लंघन है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी गुड्डी पत्नि श्यामलाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं श्यामलाल पुत्र मीठालाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर हाल 968 रकबा 0.89 है0 साबिक ख0नं0 661/1 वाके ग्राम पीलवानदी में आदेश दिनांक 26/05/2000 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 731 दर्ज होकर दिनांक 24/08/2001 को स्वीकार हुआ। फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर–खातेदार गुड्डी पत्नि श्यामलाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी तहसील मलारना डूंगर एवं श्यामलाल पुत्र मीठालाल हरिजन निवासी ग्राम पीलवानदी का खसरा सं0 हाल 968 रकबा 0.89 है0 साबिक ख0नं0 661/1 पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थीगण का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर हाल 968 रकबा 0.89 है0 साबिक ख0नं0 661/1 वाके ग्राम पीलवानदी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26/05/2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीलवानदी के आराजी खसरा नम्बर हाल 968 रकबा 0.89 है0 साबिक ख0नं0 661/1 वाके ग्राम पीलवानदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested